

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला बड़वानी (म.प्र.)


सामाजिक न्याय विभाग बड़वानी से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी

बिन्दु क्रमांक-01

प्रशासनिक संरचना

सामाजिक न्याय विभाग मुख्यतः समाज के विकलांग एवं निराश्रित को सुरक्षा प्रदान करता है। जिला स्तर विभागीय गतिविधियों के संचालन के लिए कार्यालय प्रमुख के रूप से उप-संचालक का एक पद स्वीकृत है तथा कार्यालयीन कार्य के लिए एक मुख्य लिपिकसह. लेखापाल, एक सहायक ग्रेड -2 एवं तीन सहायक ग्रेड -3 एक वाहन चालक के पद स्वीकृत है। कार्यालयीन स्टॉफ की सहायता हेतु भृत्य के चार पद स्वीकृत है। वर्तमान में उप-संचालक, मुख्य लिपिक, सह. लेखापाल, सहायक ग्रेड -2 वाहन चालक एवं भृत्य के दो पद रिक्त है। समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी के 09 पद स्वीकृत होकर 01 भरा व 08 रिक्त है ।

उक्त प्रशासनिक ढाँचे को निम्न ग्राफ से आसानी से समझा जा सकता है।




बिन्दु क्रमांक-02

कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी एवं उनको सौंपे गये कर्तव्य :-

| क्र. | अधिकारी / कर्मचारी का नाम | पदनाम |
|------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | पदरिक्त | उप-संचालक |
| 2 | श्री योगेन्द्र सिंह सोलंकी | समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी |
| 3 | पदरिक्त (8) | समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी |
| 4 | पदरिक्त | मुख्य लिपिक, सह. लेखपाल |
| 5 | पदरिक्त | सहायक ग्रेड-2 |
| 6 | श्री देवेन्द्र पंडित | सहायक ग्रेड-3 |
| 7 | श्री मनोज राउत | सहायक ग्रेड-3 |
| 8 | श्री विजय सोनी | सहायक ग्रेड-3 |
| 9 | पदरिक्त | वाहन चालक |
| 10 | श्री नारायण गुप्ता | भृत्य |
| 11 | श्रीमती पुष्पा बर्डे | भृत्य |
| 12 | पदरिक्त | भृत्य |
| 13 | पदरिक्त | भृत्य |

बिन्दु क्रमांक-03

निर्णय की प्रक्रिया



बिन्दु क्रमांक-04

शासन तथा जिला स्तर से प्राप्त समय-सीमा के भीतर निराकरण/क्रियान्वयन किया जाता है गुणवत्ता के दृष्टिकोण से शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किया जा रहा है।

बिन्दु क्रमांक-05

कार्यालय में उपलब्ध अधिनियम, नियम रेगुलेशन, मेन्यूअल की सूची:-

| क्र | नाम अधिनियम, नियम, रेगुलेशन मेन्यूअल | रिमार्क |
|-----|--------------------------------------|---------|
| 1. | म०प्र० वित्त संहिता | |
| 2. | म०प्र० मुलभूत नियम | |
| 3. | म०प्र० विभगीय जाँच | |
| 4. | म०प्र० अवकाश नियम | |
| 5. | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता निर्देशिका | |
| 6. | निःशक्त कल्याण अधिनियम | |
| 7. | नेशनल ट्रस्ट अधिनियम | |
| 8. | म०प्र० पेशन नियम | |

बिन्दु क्रमांक-06

कार्यालय में संधारित अभिलेख :-

| क्र | शाखा | शाखा प्रभारी | संधारित अभिलेख |
|-----|--|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | लेखा शाखा | | समस्त रिकार्ड संधारित |
| 2. | स्थापना शाखा | | समस्त रिकार्ड संधारित |
| 3. | निःशक्त कल्याण एवं उत्थान अभियान | | समस्त रिकार्ड संधारित |
| 4. | सामाजिक सहायता कार्यक्रम | | समस्त रिकार्ड संधारित |
| 5. | समाज कल्याण, भण्डारण एवं लेखा शाखा | | समस्त रिकार्ड संधारित |
| 6. | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना | | समस्त रिकार्ड संधारित |
| 7. | सूचना का अधिकार/वृद्धजन | | समस्त रिकार्ड संधारित |
| 8. | आवक जावक शाखा | | समस्त रिकार्ड संधारित |
| 9. | कम्प्यूटर ऑपरेटर सह सहा.ग्रेड-3 (संविदा) | | समस्त रिकार्ड संधारित |

बिन्दु क्रमांक-07

गठित अशासकीय समितियां :-

| क्र. | अशासकीय समितियां |
|------|---|
| 1. | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता समिति |
| 2. | जिला स्तरीय लोकल लेवल कमेटी |
| 3. | जिला स्तरीय निःशक्त कल्याण क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन |
| 4. | दीनदयाल अन्त्योदय समिति (मु०मं० कन्यादान योजना) |
| 5. | जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र की मानिट्रिंग हेतु डीएमटी कमेटी |
| 6. | माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय समिति |
| 7. | दिव्यांग अधिकार अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय समिति |

बिन्दु क्रमांक-08

कार्यालयीन स्तर पर बोर्ड परिषद का गठन एवं प्रतिभागिता :-

जिला स्तर पर पृथकसे कोई बोर्ड अथवा परिषद गठित नहीं है।

बिन्दु क्रमांक-09 एवं 10

कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी एवं उनको सौंपे गये कर्तव्य बिन्दु क्रमांक-2 में दर्शाया गया है।

बिन्दु क्रमांक-11

| क्र. | योजना/मद का नाम | वर्ष 2019-20 में प्राप्त आवंटन | मई 2019 तक उपयोग की गई राशि | शीर्ष मद |
|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1 | नशाबंदी कार्यक्रम | 1.00 | 0.00 | |
| 2 | विकलांग छात्रवृत्ति | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | कृत्रिम अंग सहायक उपकरण | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | विश्व विकलांग दिवस | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना | 40.23 | 40.23 | |
| 6 | मुख्यमंत्री निकाह योजना | 21.93 | 21.93 | |
| 7 | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना | 0.00 | 4.00 | |
| 8 | निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना | 0.00 | 5.00 | |
| अन्य विभाग से प्राप्त आवंटन | | | | |
| 1. | सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना | 0.00 | 22.72 | |
| 2 | सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना | 0.00 | 7.02 | |
| 3 | सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना -निःशक्त जन | 0.00 | 35.68 | |
| 4 | दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि | 0.00 | 3.87 | |
| 5 | मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना | 0.00 | 53.97 | |
| 6 | मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना | 0.00 | 0.11 | |
| 2 | इं.गा.राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना | 0.00 | 558.80 | |
| 3 | इं.गा.राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 0.00 | 275.24 | |
| 4 | इं.गा.राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना | 0.00 | 30.30 | |
| 5 | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना | 0.00 | 7.67 | |
| 7 | मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | मानसिक/बहु विकलांग | 0.00 | 22.52 | |

बिन्दु क्रमांक-12

विभागीय योजनाओं में लाभांशित हितग्राहियों की योजनावार सूचियाँ पृथक से भेजी जा रही है।

बिन्दु क्रमांक-13

हितग्राहियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं तथा उनके संबंधित हितग्राहियों की सूची कार्यालय में सुरक्षित संधारित है।

बिन्दु क्रमांक-14

विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारी कार्यालयीन शाखाओं में कार्यालयीन कम्प्यूटर में उपलब्ध है, जिनका अवलोकन कार्यालय समय में आम नागरिकों द्वारा किया जा सकता है।

बिन्दु क्रमांक-15

आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय में सूचना पटल की व्यवस्था उपलब्ध है।

बिन्दु क्रमांक-16

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के पालन में विभाग द्वारा श्री संजय तोमर परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र व प्रभारी उप-संचालक को लोक सूचना अधिकारी तथा श्री देवेन्द्र पंडित को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बिन्दु क्रमांक-17

शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार समय-समय पर लोक कल्याण शिविर एवं खण्ड स्तरीय शिविरों के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों में आम लोगों को लाभांशित किया जाता है एवं समस्याओं का निराकरण किया जाता है तथा शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाता है।

उप-संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

जिला बड़वानी (म०प्र०)

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला बड़वानी (म.प्र.)

//प्रमाण पत्र//

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्यालय में बोर्ड लगाया गया है।

**उप-संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
जिला बड़वानी (म०प्र०)**